


09.07.2021

पत्रावली आज पेश हुई। पेरकार सरकार उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता व प्रार्थी स्वयं उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी की मूल अपील स्वीकार होने से अब इस स्थगन प्रार्थना पत्र पर किसी तरह की कोई कार्यवाई अपेक्षित नहीं होने से इस स्थगन प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



(भगवती प्रसाद)

जिला कलक्टर, सिरौही

